समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला गोपनीय शाखा)

12-9/11

दिनांक 20.07.2011 को सुबह मंडल कारा, मुंगेर में किये गये निरीक्षण की टिप्पणी :-

---

घटनाक्रम :-

दिनांक 20.07.2011 को सुबह जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा अपर जिला दंडाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय, वरीय उप समाहर्त्ता एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ मंडल कारा, मुंगेर की जांच की गयी। जांच के समय सुबह 5:00 बजे सभी कैदी अपने-अपने वार्ड में ही बंद थे। महिला कक्ष को छोड़कर एक-एक करके अन्य सभी वार्ड एवं अस्पताल कक्ष की जांच की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय के नेतृत्व में की गयी तलाशी अभियान में 11 मोबाईल फोन, 16(11+5) सिमकार्ड, मोबाईल चार्जर, बड़ी मात्रा में नगर राशि (लगभग 20 हजार रू0), लोहे की रौड, गांजा, सिगरेट इत्यादि वर्जित सामग्री विभिन्न वार्डों से बरामद की गयी जिसे जब्त किया गया तथा जेलर, मंडल कारा, मुंगेर द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी।

इस जांच एवं तलाशी अभियान के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा जेल व्यवस्था की अन्य पहलुओं का भी निरीक्षण किया गया :-

(1) भवन निर्माण :-

मंडल कारा, मुंगेर किला के अंदर अवस्थित है। जेल के अन्दर मुख्य भवन एवं चहारदिवारी मीर कासिम के समय का ही माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में अधिक बंदियों को रखने की क्षमता विकसति करने के लिए नये भवनों का निर्माण भी परिसर में प्रारम्भ किया गया है जिसमें से मात्र एक भवन पूर्ण है, किन्तु चार नये भवन अपूर्ण देखे गये। उपस्थित जेल अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर ने बताया कि भवन निर्माण कार्य भवन प्रमडल, मुंगेर द्वारा किया जा रहा है एवं इनमें से अधिकांश एक वर्ष से अधिक से बंद है। अस्पताल कक्ष के सुदृढ़ीकरण कार्य के निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि कार्य अत्यन्त ही घटिया एवं अपूर्ण है। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष निर्माण कार्य भी बंद पाया गया जबकि इसके लिए पूर्व में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुंगेर को विभिन्न बैठकों में कई बार निदेशित किया गया है। निरीक्षण के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि भवन निर्माण जेल की आवश्यकताओं के अनुरुप न होकर मनमर्जी से किया जा रहा है जो अत्यन्त निराशाजनक एवं खेदजनक है। यह भी सपष्ट होता है कि किसी भी सहायक अभियंता द्वारा जेल में किए जा रहे कार्यों का नियमित निरीक्षण का अभाव है और कार्य अपूर्ण है। इस प्रकार के चल रहे सभी भवनों का निर्माण कार्यों की जांच एवं विस्तृत प्रतिवेदन हेतु **उप विकास आयुक्त, मुंगेर, श्री आलोक कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता (प्रभारी जेल अधीक्षक), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर** को नामित करते हुए चार सदस्यीय दल का गठन किया जाता है जो जेल में चल रहे निर्माण कार्यों, यथा- अतिरिक्त वार्ड का निर्माण, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का

निर्माण, अस्पताल कक्ष का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण इत्यादि की जाँच करेंगे। साथ ही आवश्यकतानुसार उक्त निर्माण कार्यों में आवश्यक सुधार के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे एवं दोष पाये जाने पर दोषी को चिन्हित करने की कार्रवाई करेंगे।

(अनुपालन– उप विकास आयुक्त, मुंगेर, श्री आलोक कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता (प्रभारी जेल अधीक्षक), कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल–1, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर)

(2) शौचालय एवं जलापूर्त्ति :–

मुख्य भवन एवं अस्पताल भवन के बीच में कई शौचालय टूटे हुए एवं जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पाये गये। इस जेल में 400 से अधिक कैदी आवासित हैं जबकि उपलब्ध शौचालयों की संख्या 20 से कम है। टूटे हुए शौचालयों की मरम्मति आवश्यक है। देखने से यह भी स्पष्ट हुआ कि जलापूर्त्ति व्यवस्था मुख्यतः कष्टहरणी घाट से आने वाली जल की सीधी आपूर्त्ति पीने योग्य नहीं होती है अतः पेयजल की एकमात्र व्यवस्था चापाकल पर ही आधारित है जिसमें से ज्यादातर खराब हैं। कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि खराब पड़े चापाकल की मरम्मति सुनिश्चित करायें। जेल के अन्दर जलापूर्त्ति में आवश्यक सुधार की कार्य योजना सुनिश्चित करने हेतु उप विकास आयुक्त, मुंगेर कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुंगेर एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (यांत्रिक), मुंगेर को नामित करते हुए त्रिसदस्यीय दल का गठन किया जाता है जो जांचोपरान्त अपनी अनुशंसा अधोहस्ताक्षरी एवं जेल अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर को 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेंगे।

(अनुपालन– उप विकास आयुक्त, मुंगेर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, मुंगेर, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, यांत्रिक, मुंगेर)

(3) अस्पताल :–

निरीक्षण के समय 15 कैदी अस्पताल कक्ष में पाये गये। चिकित्सक का कमरा जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पाया गया। इस संबंध में जेल अधीक्षक ने बताया कि चिकित्सक जब आते हैं तो वे एक्स–रे रूम में बैठते हैं तथा एक चिकित्सक एवं एक ड्रेसर सदर अस्पताल, से सिविल सर्जन, मुंगेर के आदेश पर प्रतिनियुक्त हैं।

अस्पताल कक्ष में जगह का अभाव नहीं है, इस हेतु जेल अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि सभी मरीज कैदियों के लिए अस्पताल भवन के उपरी तल पर आवासन की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं निम्न तल का उपयोग चिकित्सकों के बैठने एवं ओ0पी0डी0 हेतु ही किया जाय। साफ–सफाई एवं चिकित्सीय जागरुकता कैदियों के बीच फैलाने हेतु माह में एक बार सिविल सर्जन द्वारा कैम्प कराना आवश्यक है। अतः निदेश दिया जाता है कि सिविल सर्जन माह में एक मेडिकल शिविर जेल में अवश्य आयोजित करायेंगे।

(अनुपालन– जेल अधीक्षक, मुंगेर एवं सिविल सर्जन, मुंगेर)

निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अस्पताल भवन जेल में सबसे अन्दर की ओर है जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अतः उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं सिविल सर्जन, मुंगेर का दल इस बात की भी समीक्षा करेगा कि क्या चिकित्सीय संबंधी कार्य वर्तमान अस्पताल भवन में न चलाकर किसी अन्य ऐसे भवन में चलाया जाय

जो अपेक्षाकृत जेल के अन्दर प्रवेश करने पर बाहर की ओर है। चूँकि दोनों भवनों के संलग्नज एवं कनेपहद लगभग एक जैसा है, अतः इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अस्पताल वार्ड एवं चिकित्सक कक्ष किस भवन में चलाया जाय। यह निर्णय सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेना उचित प्रतीत होता है जिसपर अपनी अनुशंसा उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं सिविल सर्जन, मुंगेर 15 दिनांक के अन्दर देंगे।

(अनुपालन– उप विकास आयुक्त, मुंगेर एवं सिविल सर्जन, मुंगेर)

(4) आवासन एवं सुरक्षा व्यवस्था :–

आवासन के दृष्टिकोण से 614 कैदियों की आवासन क्षमता वाले जेल में वर्तमान में 433 बंदी आवासित हैं जो शत–प्रतिशत से कम है, किन्तु सश्रम कारावास में 25 से अधिक कैदी जेल में बंद है। सश्रम कारावास प्राप्त कैदियों को नियमानुसार भागलपुर अथवा अन्य केन्द्रीय कारा भेजने की कार्रवाई जेल अधीक्षक शीघ्र सुनिश्चित करेंगे। सुरक्षा उपकरण में डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैण्डसेट मेटल डिटेक्टर एवं सीसीटीवी कैमरे जेल में उपलब्ध हैं, किन्तु निरीक्षण के समय यह पाया गया कि डोर फ्रेम डिटेक्टर का उपयोग नहीं हो रहा है तथा सीसीटीवी कैमरे कुल 9 कार्यरत् होने के स्थान पर मात्र 6 कार्यरत् पाया गया। उपलब्ध विडियो फुटेज के निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि सीसीटीवी कैमरे सीसीटीवी सिस्टम एक सप्ताह तक खराब था एवं हार्ड डिस्क में मात्र एक दिन पूर्व की रिकॉर्डिंग उपलब्ध पायी गयी, उपस्थित जेलर द्वारा यह बताया गया कि सीसीटीवी कैमरा मात्र दिन में कार्यरत् रहता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा खेद व्यक्त करते हुए बताया गया कि सीसीटीवी मात्र दिन में चालू रहे यह उचित नहीं है एवं सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रहना चाहिए तथा विडियो रिकॉर्डिंग कम–से–कम 7 दिनो का अवश्य हार्ड डिस्क में उपलब्ध रहना चाहिए जिसका निरीक्षण जेलर द्वारा प्रतिदिन किया जाय।

(अनुपालन– जेल अधीक्षक, मुंगेर)

सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुंगेर मंडल कारा अत्यन्त संवेदनशील है एवं उच्च कक्षपाल एवं कक्षपाल के पद पर बड़ी संख्या में रिक्तियाँ हैं। उच्च कक्षपाल के पद पर कुल स्वीकृत 10 पद में 05 कार्यरत है एवं कक्षपाल के पद पर कुल स्वीकृत 100 पद पर मात्र 19 कार्यरत् है। सहायक कारापाल के पद पर 04 स्वीकृत पदों में मात्र एक कार्यरत् है एवं उनके भी सितम्बर माह में सेवानिवृत्त होने की सूचना जेलर द्वारा दी गयी। ऐसी दशा में पदस्थापन हेतु कारा महानिरीक्षक से अनुरोध करने का निदेश जेल अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर को दिया जाता है। जेल अधीक्षक के पद पर वर्तमाहन में श्री आलोक कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर प्रभार में हैं।

(अनुपालन– जेल अधीक्षक, मुंगेर)

जेल की संवेदनशीलता इस तथ्य से प्रभावित होती है कि पूर्व में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई बार मुंगेर जेल के नक्सली निशाने पर होने की सूचना दी गयी है। वर्तमान में मुंगेर जेल में नक्सली वादों से संबंधित कई कैदी मौजूद हैं एवं इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नक्सली संगठनों द्वारा उन्हें छुड़ाने के लिए किसी प्रकार का ऑपरेशन/दुस्साहस करने का प्रयास नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में मुंगेर जेल की सुरक्षा के लिए तत्कालीक तौर पर सैप एवं बी०ए०पी० की प्रतिनियुक्ति आवश्यक

है जिसे सुनिश्चित करने हेतु जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, मुंगेर से अनुरोध करेंगे। पूर्व से सैप के 20 जवान एवं डी०ए०पी० के 2-8 का बल जेल में प्रतिनियुक्ति हेतु पुलिस अधीक्षक, मुंगेर द्वारा स्वीकृत किया गया है जिसमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे बल लगातार प्रतिनियुक्ति में बने रहे एवं यथासंभव उन्हें सुरक्षा व्यवस्था से नहीं हटाया जाय। साथ ही बीमार कैदियों को सदर अस्पताल या किसी अन्य बाहर के अस्पताल ले जाने के लिए आवश्यकतानुसार हमेशा साथ में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाय एवं जिले से बाहर ईलाज हेतु ले जाने की परिस्थिति में पुलिस बल के साथ एक चिकित्सक की भी प्रतिनियुक्ति आगे से सिविल सर्जन, मुंगेर द्वारा सुनिश्चित किया जाय ताकि कम-से-कम समय तक किसी कैदी को जेल के बाहर रहना पड़े। सिविल सर्जन द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड से अनुमति मिलने पर तत्काल ईलाज हेतु कैदी को बाहर भेजा जाय एवं एक माह से अधिक समय बीत जाने पर पुनः मेडिकल बोर्ड से अनुमति लेकर ही भेजा जाय।

(अनुपालन- जेल अधीक्षक, मुंगेर एवं सिविल सर्जन, मुंगेर)

वर्जित सामानों, यथा- मोबाईल फोन, गांजा, सिगरेट इत्यादि की बरामदी से यह स्पष्ट होता है कि कैदियों के कोर्ट इत्यादि से वापस आने पर सघन तलाशी नहीं ली जाती है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जेल अधीक्षक लगातार चौकसी बनाये रखेंगे एवं यह उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे कि किसकी गलती से इस प्रकार के वर्जित सामान जेल के अन्दर उपयोग में लाये जा रहे हैं। जेल महानिरीक्षक से अनुरोध है कि जेल में मोबाईल जैमर लगाने पर विचार किया जाय एवं सीसीटीवी कैमरों की लगातार रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने का भी निदेश जेल प्रशासन को दिया जाय। जेल महानिरीक्षक से यह भी अनुरोध है कि निरीक्षण के क्रम में पायी कमियों एवं सुरक्षा में भी चूक के उत्तरदायित्व निर्धारण के लिए अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा की जाय एवं कक्षपाल, सहायक कारापाल पदों पर आवश्यक तैनाती करने की भी कृपा करें ताकि मुंगेर मंडल कारा जैसे संवेदनशील जेल में किसी भी प्रकार की अवांछनीय घटना होने को टाला जा सके एवं जेल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। **(अनुपालन- जेल अधीक्षक, मुंगेर)**

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक...................../गो0, दिनांक...................

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय, मुंगेर/सिविल सर्जन, मुंगेर/जेल अधीक्षक, मंडल कारा, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल/ लोक स्वास्थ्य प्रमंडल (यांत्रिक), मुंगेर/ग्रामीण कार्य प्रमंडल-1, मुंगेर/भवन प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक....................../गो0, दिनांक....................

प्रतिलिपि :- कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक....................../गो0, दिनांक....................

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर प्रक्षेत्र, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।